B.A. II Pol. Sc
Paper III
Unit - B/3 Indian Political System

Topic :— संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)

भारतीय संविधान के निर्माता संविधान के अनिवार्यता से अवगत थे। वे जानते थे कि संशोधन प्रक्रिया के अभाव में इसका विकास अवरुद्ध हो जायेगा। किसी भी देश का संविधान विकासशील होता है। कोई भी संविधान अपने अंतिम रूप को नहीं प्राप्त कर पाया है, यह हमेशा विकास के योग्य होता है।

मानव समाज विकासशील है समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं व परिस्थितियां बदलती है, अतः किसी भी उत्तम संविधान का यह गुण होता है कि वह समय की मांग को परिलक्षित करे। अतः संविधान में भी परिवर्तन आवश्यक है। 'विल्सन' के शब्दों में " संविधान को निश्चित रूप से जीवनप्रेरक होना चाहिए। इसके तत्व है — राष्ट्र के विचार और स्वभाव। अतः राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन के साथ इसका विकास आवश्यक है।"

संविधान के विकास के तीन प्रमुख कारण है :— रीति - रिवाज एवं अभिसमय, न्यायिक निर्णय, संशोधन की प्रक्रिया वर्तमान काल के अधिकांश संविधानों के विकास के सर्वप्रमुख स्रोत संशोधन और औपचारिक प्रक्रिया है। जिसका उल्लेख संविधान में कर दिया जाता है। संशोधन प्रक्रिया को प्रत्येक संविधान का अनिवार्य तत्व माना जाता है।

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया :— भारत के संविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य संविधानों में वर्णित संशोधन - प्रक्रिया से लाभ उठाया। संघात्मक संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका आस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैंड के संविधान इसके उदाहरण है। दूसरी ओर इंगलैंड का संविधान अत्यधिक नम्य है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग अपनाना निश्चित किया। वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे जो न अत्यधिक परिवर्तनशील हो और न ही अत्यधिक दुष्परिवर्तनशील।

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के लिए तीन प्रणालियों को अपनाया गया है।

क – साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया

ख – संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया

ग – विधान मंडलों की स्वीकृति के साथ संशोधन की प्रक्रिया

क :– साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया :– संविधान में संशोधन लाने के लिए यह सरलतम प्रक्रिया है। यह संविधान की नम्यता का द्योतक है। इसमें साधारण विधि तथा संवैधानिक विधि में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। ब्रिटेन में संशोधन लाने के लिए इसी को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान में इसे संशोधन नहीं समझा गया है। फिर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह संविधान संशोधन के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संविधान में कई बार संशोधन किया जा चुका है। राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1971 ई० में नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया, केंद्र शासित क्षेत्रों के गठन सीमा परिवर्तन तथा प्रशासन के लिए अनेक बार विधेयक पारित किए गये, कई राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता के संबंध में व्यापक कानून बनाये गये।

ख :– संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया :– संविधान के संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यदि इस सदन में कुल सदस्यों के अधिकांश उपस्थित हों और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मतों से उसे पारित कर दिया जाय तो वह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी इस प्रकार पारित होने बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। संविधान के कुछ उपबंधों जैसे (न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों एवं शक्तियों) को छोड़कर

Scanned with CamScanner

अन्य सभी उपबंधों का संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। यह प्रक्रिया पहली वाली प्रक्रिया से जटिल है। इसे इंगलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाई गई प्रक्रियाओं का रूप कहते हैं।

ग:— राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के साथ संशोधन:-

संविधान के कुछ अन्य उपबंधों में संशोधन लाने के लिए विधेयक को संघ के दोनों सदनों द्वारा उपयुक्त रीति से पारित करने के अतिरिक्त राज्यों के कुल विधानमंडलों के कम से कम आधे के द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। संविधान के निम्नलिखित उपबंध इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधित होते हैं।

(i.) राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद-54)
(ii.) राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति (अनुच्छेद-55)
(iii.) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73)
(iv.) राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद-162)
(v) केंद्र शासित राज्यों के उच्च न्यायालय (अनुच्छेद-24)
(vi) संघीय न्यायपालिका (भाग 5 का पाँचवा अध्याय)
(vii) राज्यों में उच्च न्यायालय (भाग 6 का पाँचवा अध्याय)
(viii) संघ तथा राज्यों के विधायी संबंध (भाग 11 का पहला अध्याय)
(ix) सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
(x) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
(xi) संविधान के संशोधन से संबंध उपबंध जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है।

तीसरी प्रक्रिया संविधान की जटिलता का द्योतक है। इसके अंतर्गत वे सभी अनुच्छेद आते हैं जिनका संबंध मुख्यतः संविधान के संघीय स्वरूप से है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया व स्विट्जरलैंड की संशोधन प्रणालियों के अनुरूप यह प्रणाली है। भारतीय संविधान में अपनाई गई उपर्युक्त प्रणालियों से यह स्पष्ट होता है कि नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण है। संविधान के उपबंधों को दो भागों में बाँट दिया गया है - साधारण उपबंध तथा संरक्षित उपबंध। संरक्षित उपबंध संविधान के मौलिक स्वरूप को निर्धारित करते हैं। साधारण उपबंधों के लिए सरलतम तथा संरक्षित

उपबंधों के लिए विशिष्ट संशोधन प्रणालियों को अपनाया गया है। जहाँ तक संविधान की जटिलता का प्रश्न है, यह गलत है। विश्व के किसी भी संघात्मक संविधान से यह जटिल नहीं है। यह आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड तथा संयुक्तराज्य अमेरिका के संविधान से अधिक नम्य है।

संशोधन प्रक्रिया की विशेषताएँ :— भारतीय संविधान में वर्णित संशोधन-प्रक्रिया अन्य देशों की तुलना में कुछ विशेषताएँ है।

(i) संशोधन कार्य के लिए पृथक निकाय की व्यवस्था की गई है, यह शक्ति संसद को सौंपी गई है।

(ii) राज्य विधानमंडलों को संशोधन की शक्ति नहीं दी गई है।

(iii) अनुच्छेद 368 में वर्णित कुछ उपबंधों को छोड़कर कुछ संशोधन - विधेयक साधारण विधेयक की भाँति संसद में पारित किया जाता है। अन्य विधेयकों का भाँति संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। दोनों सदनों में आवश्यक बहुमत प्राप्त होने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है।

(iv) संसद में संशोधन पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(v) भारत में संविधान में संशोधन के लिए कमसेकम आधे राज्य की स्वीकृति आवश्यक है। जबकि अमेरिका में तीन-चौथाई राज्यों की सहमति आवश्यक है।

(vi) संविधान के समस्त उपबंधों को संशोधित किया जाता है। अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner